महत्वपूर्ण एवं खास

विशाखापटनम-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन 8 को 3 घंटे देरी से होगी रवाना

रायपुर (आरएनएस)। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत टिटलागढ़-रायपुर सेक्शन के बेलसोंडा एवं आरंग महानदी रेलवे स्टेशनों के बीच दोहरी लाइन कार्य के चलते 8 जुलाई को विशाखापट्नम से भगत की कोठी के लिए रवाना होने वाली स्पेशल ट्रेन 3 घंटे विलंब से रवाना होगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत टिटलागढ़-रायपुर सेक्शन के बेलसोंडा एवं आरंग महानदी रेलवे स्टेशनों के बीच दोहरी लाइन का कार्य 07 एवं 08 जुलाई को किया जाएगा जिसके लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी के फलस्वरूप 08 जुलाई को विशाखापटनम से चलने वाली 08573 विशाखापटनम-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन विशाखापटनम से 05.25 बजे के स्थान 08.25 बजे अर्थात (03 घंटे देरी से) रवाना होगी।

अभिनेता दिलीप कुमार का जाना यानी हिन्दुस्तानी सिनेमा का एक युग चला गया-भूपेश बघेल

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जाना याना हिन्दुस्तानी सिनेमा का एक युग चला गया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि दिलीप कुमार साहब का जाना एक अनंतकाल तक के लिए ऐसा खाली स्थान है जो कभी न भरा जा सकेगा। देश और सिनेमा उनका सदैव ऋणी रहेगा।

शराब नही पिलाने मारा चाकू, हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। शराब नही पिलाने पर चाकू मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाया। मामले की रिपोर्ट टिकरापारा थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सतनामीपारा संजयनगर टिकरापारा निवासी कुसु सूर्यवंशी 40 वर्ष पिता स्व.लखनलाल सूर्यवंशी ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि मंगलवार को शाम 8.15 बजे प्रार्थी का छोटा भाई सचिन सूर्यवंशी 26 वर्ष को पड़ोस में रहने वाला दशरथ बंजारे 25 वर्ष पिता काशीराम बंजारे ने शराब पिलाने को कहा नही पिलाने आरोपी ने उसे अपने पास रखे चाकू से पेट में मारकर हत्या करने की नियत से प्राणघातक चोट पहुंचाया। जिसके चलते उसके पेट व पसली में गंभीर चोट आने पर डीकेएस अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उसका इलाज जारी है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

कार में घूम-घूमकर लेपटॉप व मोबाईल से ऑनलाईन लिख रहा था सट्टा, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी पुलिस ने तेलीबांधा इलाके में एक कार सवार व्यक्ति को घूम-घूमकर सट्टा-पट्टी लिखते पाए जाने पर गिरफ्तार कर उसके पास से नगदी रुपये एवं 34 नग मोबाईल तथा एक क्रेटा कार जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार तेलीबांधा पुलिस ने शीतला तालाब के पास अवंति विहार में मंगलवार रात 10 बजे मुखबीर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ने पर आरोपी के पास से 34 नग मोबाईल,4 लेपटॉप तथा नगदी 1लाख 30 हजार रुपये व एक क्रेटा कार क्रमांक सीजी 13 डब्लू 9335 जब्त की है। आरोपी कार में घुमघुमकर लेपटॉप व मोबाईल के माध्यम से सट्टा-पट्टी लिख रुपये-पैसे का दाव लगा रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 4 (क)के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

उड़ीसा, रायपुर व महासमुंद के 5 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार

» हनुमान छाप सिक्के से चमत्कारी रूप से अमीर बनने का प्रलोभन देकर करते थे ठगी

» आरोपियों से 02 नग हनुमान छाप सिक्का, एक वैगेनार कार, दो मोटर सायकल जप्त

महासमुंद (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस ने यहां सघन जांच और चेकिंग अभियान के तहत एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि लोगों को अमीर बनाने के लिए पुराने सिक्कों का इस्तेमाल करते थे और तरह-तरह की लालच देकर उनसे लाखों रुपए बैठा करते थे ।पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलें के सभी थाना प्रभारी को भी ऑनलाइन से ठगी एवं रूपयें दुगने करने एवं पैस झरन करने जैसे की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देशित किया गया है कि को प्रार्थी ईमलीभाठा निवासी महासमुंद से शिकायत प्राप्त हुआ कि उड़ीसा के रहने वाले सुरेशन दुरिया, विष्णु चंद्राकर, टीकम सिंह ठाकुर व अन्य 02 दो-तीन बार संपर्क कर प्रार्थी के पास महासमुंद आये और पुराना हनुमान छाप सिक्का है जो सुई एंव ब्लेड व चांवल को टच करने से अपने तरफ खीचता है। जिसमें चमत्कारी शक्ति है। जिससे रातो रात अमीर बना जा सकता है, उस सिक्के को बेचने से अच्छा पैसा मिलता है कहकर पांचो व्यक्ति प्रार्थी से संपर्क किया और सिक्का बिक्री करने के बहाने ग्राम पचेड़ा जामली रोड़ किनारे जंगल पास पैसा लेकर हनुमान छाप सिक्का लेने आने को कहा गया। प्रार्थी को उनकी बातों व पैसे की मांग करने शक हुआ तो इसकी सूचना पुलिस की दी गई। सूचना पर सायबर सेल एवं थाना खल्लारी की टीम ग्राम पंचेड़ा जामली मार्ग जंगल में पहुचें जहॉं कुछ लोग वेगेनार कार एवं बाईक में बैठे इंतजार करते जो जंगल के बीच बैठकर हनुमान छाप सिक्के में चांवल खिचना व तंत्र मंत्र आदि का कार्य कर रहे थे। जिन्हे घेराबंदी कर सुरेशन दरिया पिता डालू दरिया उम्र 45 वर्ष सा. नागपड़ा वार्ड नं. 3 थाना बुढ़ेन जिला नुआपाडा उडीसा, विष्णु चंद्राकर पिता स्व. लखन लाल चंद्राकर उम्र 51 वर्ष सा. बरबसपुर थाना महासमुंद, टीकम सिंह ठाकुर पिता स्व. बरन सिंह ठाकुर उम्र 39 सा. जुगेसर वार्ड नं. 7 चंद्रखुरी थाना बंदिर हसौद जिला रायपुर, जितेन्द्र पाल पिता कृष्ण कुमार पाल उम्र 38 वर्ष सा. प्रगति नगर वार्ड नं. 01 मंदिर हसौद जिला महासमुंद, वेदराम पिता रैनु राम गायकवाड़ उम्र 42 वर्ष सा. सेवाती चैकी बुंदेली थाना तेन्दूकोना को पकड़ा गया तथा इस लोगो का तलाशी लेने पर दो नग पुराना हनुमान छाप सिक्का व चांवल व ब्लेड आदि मिला। सिक्का के संबंध में पूछताछ कर सुई एंव ब्लेड व चांवल को अपनी तरफ खीचने का रहस्य के बारे में पूछताछ किया तो आरोपियों द्वारा झांसा इस तरह दिखाना बताया। आरोपियों को मौके पर से गिरफ्तार को उनके कब्जे से 02 नग पुरानी हनुमान छाप सिक्का जप्त कर आरोपियों के विरूध थाना खल्लारी में अपराध धारा 420.511.34 के तहत कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार आरोपियों में सुरेशन दरिया पिता डालू दरिया उम्र 45 वर्ष सा. नागपड़ा वार्ड नं. 3 थाना बुढ़ेन जिला नुआपाडा उडीसा। विष्णु चंद्राकर पिता स्व. लखन लाल चंद्राकर उम्र 51 वर्ष निवासी बरबसपुर थाना महासमुंद। टीकम सिंह ठाकुर पिता स्व. बरन सिंह ठाकुर उम्र 39 सा. जुगेसर वार्ड नं. 7 चंद्रखुरी थाना बंदिर हसौद जिला रायपुर। जितेन्द्र पाल पिता कृष्ण कुमार पाल उम्र 38 वर्ष सा. प्रगति नगर वार्ड नं. 01 मंदिर हसौद जिला महासमुंद। वेदराम पिता रैनु राम गायकवाड़ उम्र 42 वर्ष सा. सेवाती चैकी बुंदेली थाना तेन्दूकोना।

अनुकंपा नियुक्ति रिश्वत मामले में शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर डीईओ, शिक्षक, लेखापाल हुए निलंबित

रायपुर (आरएनएस)। नौकरी लगाने के नाम पर ठगबाजों का गिरोह लंबे अर्से से शिक्षित बेरोजगारों से बड़ी रकम लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर खुलेआम लूटपाट कर रहा है। कुछ शिकायतों में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भी कई परिवार के सदस्यों को विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा गुमराह कर लंबी चौड़ी रकम लेती जा रही है। बालोद क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। जहां जिला शिक्षा अधिकारी लेखापाल एवं शिक्षक द्वारा सहायक ग्रेड 3 की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में खुलेआम रिश्वत मांगे जाने का मामला जांच के दौरान प्रमाणित पाया गया। शिकायत प्रमाणित होने पर शिक्षा विभाग के अवर सचिव सरोज उइके ने उक्त तीनों को सोमवार को आगामी आदेश पर्यंत निलंबित कर दिया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिश्वत की माँग करने की शिकायत पर हुई जाँच में प्रथम दृष्ट्या आरोप प्रमाणित पाए जाने पर राज्य सरकार ने बालोद के ज़िला शिक्षा अधिकारी, लेखापाल और शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तरुणा बेलचंदन की अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड तीन पर होनी है, इस अनुकंपा नियुक्ति के एवज़ में ज़िला शिक्षा अधिकारी आर एल ठाकुर, लेखापाल महेंद्र चंद्राकर और माध्यमिक शाला भरदा (लो) में पदस्थ शिक्षक जितेंद्र देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने महिला से 35 हजार रुपए रिश्वत ली।

स्टील कारोबारी से लाखों की ठगी,धोखाधड़ी का मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में स्टील कारोबारी से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, सरस्वती थाने में मारुती लाइफ स्टाइल कंपनी के मालिक रोहित मित्तल ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

रोहित ने शिकायत में बताया कि गुढ़ियारी में उनकी पत्नी इकु मित्तल के नाम से अलग फर्म है। दोनों फर्म के माध्यम से लोहे के सरिया और अन्य लोहे के सामान की खरीदी-बिक्री का काम चलता है। रोहित मित्तल ने बताया कि मनोज गुप्ता और मनीष गुप्ता उत्तरप्रदेश के चौरी बाजार भदोही निवासी ने झूठे आश्वासन देकर अलग-अलग साइज सरिया ऑर्डर देकर 1 करोड़ 89 लाख 420रुपये का माल मंगवाया था। आरोपियों ने आधा रकम चुकाने के बाद शेष रकम 38 लाख 50 हजार 232 रुपये नहीं चुकाए हैं। कई बार बोलने के बाद भी पैसे नहीं दिये व फोन उठाना बंद कर दिया। जिसके बाद रोहित ने थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। आजाद चौक थाना सीएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि स्टील कारोबारी रोहित मित्तल ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी मनोज गुप्ता एवं मनीष गुप्ता ने एजेंट प्रवीण कुमार डे के माध्यम से सरिया मंगाकर 38 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। शिकायत मिलते ही आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में थाना आमानाका में भी 11 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है। आरोपी कई लोहा कारोबारियों को अपने झांसे में लेकर करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। आरोपियों की पतासाजी के लिए जल्द ही पुलिस की एक टीम रवाना की जाएगी।

कलेक्टर भीम सिंह ने किसानों में 15 मिनी राइस मिल बांटे

रायगढ़ । लैलूंगा में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर भीम सिंह ने किसानों को मिनी राइस मिल मशीन का वितरण किया। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने मशीन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की बात किसानों से कही। जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल भी इस दौरान साथ रहे।

ग्रामीण कृषि विकास एवं विस्तार अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 15 मिनी राइस मिल का वितरण किसानों को किया जा रहा है। इसमें लैलूंगा क्षेत्र के 6 किसानों के एक ग्रुप को एक मिनी राइस मिल का वितरण किया जाएगा। पूर्व में 250 हेक्टेयर में सुगंधित धान जवाफूल का फसल लगाया गया था। इसे किसानों ने डेढ़ सौ रुपए किलो में बेचा। पूर्व में रायपुर व रायगढ़ में स्टॉल लगाकर करीब 10 लाख रुपए का सुगंधित चावल जवाफूल की बिक्री की गई। कलेक्टर सिंह ने किसानों से कहा कि वर्तमान में सुगंधित चावल जवाफूल की मांग बढ़ गई है और इससे इसकी फसल लेने वाले किसानों को भी ज्यादा लाभ हो रहा है। इस दौरान उन्होंने इस वर्ष ज्यादा मात्रा में सुगंधित धान जवाफूल का उत्पादन करने की बात किसानों से कही। कलेक्टर सिंह ने कहा कि मिनी राइस मिल से जवाफूल फसल लेने वाले किसानों को कार्य करने में सुविधा मिलेगी। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने मशीन की तकनीकी जानकारी ली। बताया गया कि मशीन से धान को चावल बनाने के साथ गेहूं व चावल की पिसाई होने का कार्य भी किया जा सकेगा। इस पर कलेक्टर सिंह ने बेहतर कार्य करने और ज्यादा लाभ कमाने की बात किसानों से कही। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण पैकरा, उपाध्यक्ष लखन सारथी सहित किसान व कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बीज भंडार गोदाम का किया निरीक्षण

कलेक्टर भीम सिंह ने ग्रामीण कृषि विकास एवं विस्तार अधिकारी कार्यालय के पीछे स्थित बीज भंडारण गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान बीज व खाद के भंडारण और किसानों में वितरण की स्थिति की जानकारी ली गई। कलेक्टर सिंह ने क्षेत्र के सभी किसानों को बीज व खाद समय पर वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

महिलाओं के लिये आजीविका का साधन बना रेडी टू ईट

रायगढ़ । महिला एवं बाल विकास परियोजना के तहत पूरक पोषण आहार योजना चलाया जाता है। जिसे गर्भवती, शिशुवति माता, 6 माह से 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए प्रोटीन एवं कैलोरी युक्त पैकेजिंग आहार दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर विकासखण्ड घरघोड़ा ग्राम पंचायत चोटीगुड़ा की जमुना स्व-सहायता समूह की 10 महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए रेडी टू इट का काम चालू किया और घर पर ही बैठ कर अपने ही गांव में रेडी टू इट को आजीविका को साधन बनाया। ज्ञात है कि कया क्लस्टर के 41 आंगनबाड़ी जो कि दूर दराज एवं हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद प्रत्येक आंगनबाड़ी में स्वयं के द्वारा नियमित रूप से रेडी टू इट आपूर्ति करने का जिम्मा लिया जमुना स्व-सहायता समूह ने।

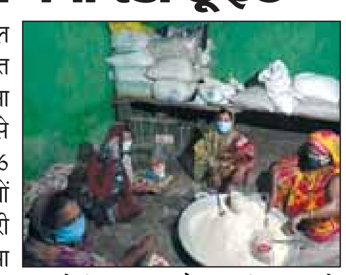

स्कार्पियों में छुपाकर दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन छुपाकर ले जा रहे थे बेचने, 4 गिरफ्तार

महासमुंद (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला अंतर्गत खल्लारी थाना पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति का वन प्राणी पेंगोलिन एक वाहन से बरामद कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेंगोलिन को जंगल से पकड़ कर बेचने एक बोरी में भरकर स्कार्पियों वाहन से लेकर जा रहे थे।

File Photo

मिली जानकारी के अनुसार खल्लारी पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर मंगलवार 6 जुलाई को शाम 4.30 बजे बोरई गांव चौक खल्लारी में एक सफेद रंग की स्कार्पियों क्रमांक सीजी 04 एचयू 2091 को रोककर चेक करने के दौरान वाहन की डिक्की के अंदर एक दुर्लभ प्रजाति का भूरे रंग का पेंगोलिन अनुमानित कीमत (22 लाख रुपए)बोरे में बंद जीवित मिला। जिसे पुलिस ने जब्त कर गाड़ी में बैठे आरोपियों को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम होमन दीवान पिता रामुलाल दीवान आयु 40 वर्ष निवासी लोहारगांव थाना खल्लारी जिला महासमुंद, ओमप्रकाश थवाईत पिता कृष्णचंद थवाईत 40 वर्ष निवासी आंवराडबरी थाना खल्लारी जिला महासमुंद,रमेश मिश्रा पिता स्व. करूण मिश्रा 45 वर्ष निवासी प्रोफेसर कालोनी सेक्टर 03 थाना पुरानी बस्ती रायपुर तथा डागेश्वर साहू पिता बुन्दीराम साहू आयु 32 वर्ष निवासी साकिन सिवनी कला थाना कुरूद जिला धमतरी बताया है। आरोपियों के पास से 4 नग मोबाईल विभिन्न कंपनियों का,2 हजार रुपये नगदी तथा एक स्कार्पियों वाहन जब्त की गई है। सभी के खिलाफ वाईल्ड लाईफ (प्रोटेक्श)एक्ट 1972 की धारा 39,51,9 के तहत कानूनी कार्रवाही की गई है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक नीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

बच्चे स्वस्थ होंगे तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत बनेगा-मुख्यमंत्री भूपेश

» मुख्यमंत्री बघेल वजन त्यौहार के वर्चुअल शुभारंभ समारोह में हुए शामिल

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 से 16 जुलाई तक आंगनबाड़ियों में मनाए जा रहे प्रदेशव्यापी वजन त्यौहार का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष बच्चों का वजन भी लिया गया। बघेल ने कहा कि कहा कि हमारे बच्चे यदि मजबूत होंगे, ताकतवर बनेंगे, हमारी बेटियों में खून की कमी दूर होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से वजन कराकर उनके सुपोषण स्तर का मूल्यांकन कराने और किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन जांच की अपील की। इस अवसर पर बघेल रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड स्थित बिरगांव और दुर्ग जिले के पाटन स्थित गांव अटारी में आयोजित वजन त्यौहार कार्यक्रम में बच्चों की माताओं से आंगनबाड़ी में मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, संचालक समाज कल्याण पी. दयानंद, संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती दिव्या मिश्रा उपस्थित थीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने धरसीवां विकासखंड की बिरगांव में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुश्री नीलू परगनिहा से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से उनका अनुभव तथा कुपोषण की स्थिति के बारे में जानकारी लिये जाने पर उन्होंने बताया कि पहले उनके आंगनबाड़ी केंद्र में 7 मध्यम कुपोषित बच्चे थे। जिनमें से 5 बच्चे अब सामान्य हो चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी मध्यम कुपोषित हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ देने के साथ रेडी टू ईट की सामग्री तथा गरम भोजन प्रदान किया जाता है। कुपोषित बच्चों के घरों में जाकर उनके पालकों को बच्चों के खानपान से संबंधित समझाईश भी दी जाती है।